

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2018

सा.का.नि. . . . . (अ) - भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604 (अ) दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में

- (i) पृष्ठ 10 पर, सारणी में, क्रम संख्या 185 के समक्ष, कॉलम (2) में "2524 10 92 से 2525 10 90 (2524 90 21 को छोड़कर)" के स्थान पर "2524 90 12 से 2525 10 90 (2524 90 21 को छोड़कर)" पढ़ें ।
- (ii) पृष्ठ 18 पर, सारणी में, क्रम संख्या 387 के समक्ष, कॉलम (2) में "3403 90 10 से 3403 90 33" के स्थान पर "3404 90 10 से 3404 90 33" पढ़ें ।
- (iii) पृष्ठ 18 पर, सारणी में, क्रम संख्या 388 के समक्ष, कॉलम (2) में "3403 90 39" के स्थान पर "3404 90 39" पढ़ें ।

(फा.सं. - 354/146/1997-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार